मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Date of Institution:	Date of Judgement:	Age:
03/01/16	05/16/21	5 Y, 2 M, 15 D
MM/DD/YY	MM/DD/YY	

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.
एम.ए.सी.पी. संख्या 144/2016
गुलाब पुत्र श्री परमानंद उम्र 55 साल निवासी कैलगुवां (खेंजौरा) थाना बानपुर जिला ललितपुर, उ.प्र.

----याची

प्रति

1. कौशल किशोर कुशवाहा पुत्र श्री भवानी सिंह कुशवाहा नि. म.सं. 756/1 नई बस्ती, झाँसी थाना कोतवाली जिला झाँसी

........**स्वामी वाहन** बोलेरो पिकप सं. UP93E8316

2. कमलेश साहू पुत्र श्री मुटठी साहू निवासी ग्राम पहाड़पुरा थाना समथर, झाँसी (**मृतक दौरान मुकदमा** आदेश दिनाँकित 13.03.2018 के अनुसार हटाया गया)

........**चालक** बोलेरो पिकप सं. UP93E8316

3. यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी प्राई. लिमिटेड सदर बाजार झाँसी

.... **बीमाकर्ता** बोलेरो पिकप सं. UP93E8316

----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री एम.के. पाराशर
विपक्षी सं.1 के अधिवक्ता- श्री लल्लन सिंह यादव
विपक्षी सं.2- मृतक/डिलीट किया गया
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- वी.के. मिश्रा

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची गुलाब द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा **166** व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई गम्भीर चोटों के कारण ₹12,50,000 क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनाँक 13.01.2014 को अपने रिश्तेदार सुनील कुमार तिवारी पुत्र विन्द्रावन तिवारी अपनी मोटर साईकिल से काशीराम तनय कन्हैया लाल नायक निवासी कटेरा के साथ व कैलाश उर्फ मुन्ना अपनी मोटर साईकिल सं. MP36MC3239 से अपने लड़के महेन्द्र लिटौरिया व याची को बैठाकर ग्राम विनवारा से चलकर कटेरा जा रहे थे। जैसे ही समय करीब 10 बजे सुबह भदौरिया पेट्रोल पम्प के पास थाना सकरार पहुँचे तो देखा कि सामने से बोलेरो पिकप का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और कैलाश उर्फ मुन्ना की मोटर साईकिल जिस पर याची बैठा था गलत साइड में आकर जोरदार टक्कर मार दी जिससे कैलाश उर्फ मुन्ना, महेन्द्र लिटोरिया व याची को गंभीर चोटें आईं और लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गये और मोटर साईकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद बोलेरो चालक थोड़ा रुका उसी दौरान याची के रिस्तेदारों ने वाहन का नम्बर देख लिया था और इसके बाद वाहन चालक वाहन को तेज गति से चलाता हुआ झाँसी की तरफ चला गया। दुर्घटना के बाद याची के साथ जा रहे रिश्तेदार याची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आये और भर्ती कराया जहाँ याची के बायें पैर का ऑपरेशन किया गया। याची का पैर जब सही नहीं हुआ तो याची को माँ वैष्णो हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, झाँसी में भर्ती कराया गया जहाँ पर इलाज के दौरान याची का बायां पैर काट दिया गया जिससे याची को स्थायी अपंगता आ गई। याची अब कोई काम करने लायक नहीं रह गया है जिससे वह अपनी खेती एवं पांडित्य कार्य नहीं कर पा रहा है। घटना की रिपोर्ट याची के रिश्तेदार सुनील तिवारी द्वारा थाना सकरार में लिखाई गई।

3. विपक्षी सं.1 कौशल किशोर कुशवाहा प्रश्नगत बोलेरो पिकप सं. UP93E8316 के पंजीकृत स्वामी की ओर से 11 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि विपक्षी सं.1 के वाहन चालक की कोई तेजी व लापरवाही नही थी। यह घटना याची जिस वाहन पर सवार होकर जा रहा था उसी वाहन के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई है एवं उसी वाहन से चोटें आयी हैं। याची द्वारा क्लेम पाने की नियत से विपक्षी के वाहन के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। विपक्षी सं.1 का प्रश्नगत वाहन दुर्घटना के दिनाँक को विपक्षी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि. से विधिवत बीमित था तथा घटना के दिनाँक को उसके वाहन को चालक कमलेश साहू चला रहा

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.06.16 17:41:47 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

था जिसके पास वैध व प्रभावी लाइसेंस था। उक्त घटना के बाद बीमारी के कारण घर पर चालक कमलेश साहू की मृत्यु हो गई है।

4. विपक्षी सं.2 प्रश्नगत बुलेरो पिकप के चालक कमलेश साहू की मृत्यु दौरान याचिका हो चुकी है अतः न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 13.03.2018 के अनुसार उसे याचिका से डिलीट किया गया है।

5. विपक्षी सं.3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत बोलेरो पिकप सं. UP93E8316 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 18बी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि याची ने अपनी याचिका गलत व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। न तो पुलिस द्वारा और न ही बोलेरो स्वामी द्वारा दुर्घटना के संबंध मे उन्हे कोई सूचना दी गई। कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत ट्रक के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था। यदि प्रश्नगत बोलेरो पिकप मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलायी जा रही थी तो ऐसी दशा में विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 24.04.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 13.01.2014 को जब याची गुलाब अपने परिचित कैलाश उर्फ मुन्ना व उनके पुत्र महेन्द्र के साथ मोटर साईकिल सं. UP93E8316 पर बैठकर ग्राम बिनवारा से कटेरा आ रहा था, तो थाना सकरार झाँसी के परिक्षेत्र में स्थित भदौरिया पेट्रोल पम्प के पास समय करीब 10:00 बजे प्रातः सामने से आ रहे बोलेरो पिकअप सं. UP93E8316 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर गलत साइड में आकर मोटर साईकिल सं. MP36MC3239 में टक्कर मार दी, जिससे अन्य सहित याची को गम्भीर चोटें आयीं?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दोनों वाहन चालकों की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप घटित हुई? यदि हाँ तो प्रभाव?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकप सं. UP93E8316 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था?

4. क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.1 का प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकअप सं. UP93E8316 विपक्षी सं.3 बीमा कंपनी में विधिवत् रूप से बीमित था?

5. क्या याची कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो कितना और किससे?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से

<u>अभिलेखीय</u>

1. फेहरिस्त 7सी1 के माध्यम से 8सी1/1 लगायत 9सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति व असल चिकित्सालय मुक्ति-पत्र शामिल हैं,
2. फेहरिस्त 23सी1 से 24सी1/1 लगायत 28सी1 प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी की सत्य-प्रतिलिपियाँ, विकलांगता प्रमाणपत्र की छाया प्रति एवं असल डिस्चार्ज एवं केस समरी, शामिल हैं।
3. फेहरिस्त 31सी1 लगायत 31सी1/3 से 32सी1 लगायत 75बी प्रपत्र जिनमें डिस्चार्ज कार्ड व चिकित्सालय मुक्ति पत्र की छाया प्रतियाँ, असल पर्चा व असल दवाओं के बिल शामिल हैं
4. फेहरिस्त 77सी1 के माध्यम से 77सी1/2 लगायत 75बी असल दवाओं का बिल
5. फेहरिस्त 81सी1 से 81सी1/2 लगायत 81सी1/20 छाया प्रति डिस्चार्ज समरी

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

PW1 गुलाब याची सं.1 चुटैल स्वयं

विपक्षीगण की ओर से-

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

1. विपक्षी सं.1 की ओर से फेहरिस्त 13सी1 के माध्यम से 14सी1 लगायत 16सी1 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी व ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

2. विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से हर्ष विशाल गुप्ता अन्वेषक द्वारा प्रश्नगत वाहन सं. UP93E8316 के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापन आख्या 85 बी व बिलों के सत्यापन की आख्या 86 बी दाखिल कराई गई है।

मौखिक साक्ष्य

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है,

8. मैंने उभय पक्ष की ओर से आभासी न्यायालय में उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं याची की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह तर्क रखे हैं कि याची द्वारा याचिका मे बताये गये दुर्घटना के घटनाक्रम व याची द्वारा साक्ष्य मे बताये गये दुर्घटना के घटनाक्रम मे भारी अंतर है जिससे याची साक्षी की विश्वसनीयता नही रह जाती है। इस बात का कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है कि याची का पैर वाहन दुर्घटना मे क्षतिग्रस्त हुआ है। दुर्घटना आमने-सामने की टक्कर की बताई गई है अतः यदि कोई दायित्व निर्धारित किया जाता है तो वह आधा ही होगा। मोटर साईकिल पर तीन लोग सवार होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। नौसिखिये मोटर साईकिल चालक जिसकी चालन अनुज्ञप्ति भी प्रस्तुत नही की गई है के द्वारा मोटर साईकिल चलाए जाने के कारण यह लोग स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुये हैं। बोलेरो चालक से कोई दुर्घटना नही हुई है। दुर्घटना के एक माह बाद सोच विचार कर अवैध क्लेम पाने के लिए बोलेरो के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है। बोलेरो कामर्शियल वाहन था जिसकी फिटनेस नही थी। पैर कट जाने से याची के पांडित्य प्रोफेसन मे कोई कमी नही आती है।

9. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2

वाद बिन्दु सं.1 इस आशय का है कि क्या कथित प्रश्नगत वाहन बोलेरो सं. UP93E8316 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से गलत साइड में आकर सामने से आ रही मोटर साईकिल सं. MP36MC3239 में जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साईकिल पर पीछे बैठे अन्य सहित याची को गम्भीर चोटें आयी? तथा वाद बिन्दु सं.2 इस आशय का है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना दोनों वाहन चालकों की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप घटित हुई है? वाद बिन्दु सं.1 को साबित करने का भार याची पर है। इस वाद बिंदु को साबित करने के लिये याची की ओर से फेहरिस्त 23 सी1 से प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपियाँ, याची के महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी का असल मुक्ति पत्र 9 सी1 दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाखिल किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में PW1 याची गुलाब चुटैल स्वयं को परीक्षित कराया गया है।

10. विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि मोटर दुर्घटना दावा मामलों का निर्णय करने में प्राथमिकी दर्ज करना महत्वपूर्ण है, इसे दर्ज करने में देरी को ऐसी कार्यवाही के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए, यदि दावेदार इसके लिए संतोषजनक और ठोस कारण प्रदर्शित करने में सक्षम है। [पैरा-20 और 21] पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जो लगभग 1 माह का बिलम्ब हुआ है उसका कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया है अतः मेरे विचार से इस प्रकरण मे विलम्ब घातक है।

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने Kishan Gopal and Ors. vs. Lala and Ors. (26.08.2013 - SC) : MANU/SC/0864/2013 प्रस्तुत कर विश्वास व्यक्त किया गया है। मैंने प्रस्तुत विधि व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं। प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने कथित बोलेरो वाहन द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारे जाने के तथ्य को चुनौती दिया है तथा बोलेरो स्वामी व चालक की ओर से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के अनुसार विरोध व प्रतिवाद करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो बहस के दौरान स्वीकृत हुआ है। यह सुस्थापित विधि है कि सर्वप्रथम याची का मामला स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए उसके बाद ही विपक्षी द्वारा खंडन का प्रश्न आता है।

12. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने Bimla Devi and Ors. vs. Himachal Road Transport Corporation and Ors. (15.04.2009 - SC) :

MANU/SC/0577/2009 प्रस्तुत कर विश्वास व्यक्त किया गया है। मैंने प्रस्तुत विधि व्यवस्था का ससम्मान अवलोकन किया। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं। बिमला देवी के उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रश इंजरी नहीं पाई गई है जबकि अभिवचनों में कुचलने से मृत्यु होना कहा गया है। यह सही है कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभिवचनों मे कुछ भिन्नता है तो दुर्घटना कैसे हुई के प्रश्न पर अभिवचनों को नजरंदाज किया जा सकता है किंतु उदाहरण स्वरूप यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे मृत्यु का कारण मोटर वाहन दुर्घटना मे मृत्यु के अभिवचनों से बिल्कुल भिन्न तथ्य जैसे विद्युत स्पर्श हो तो इस बात को नजरंदाज नही किया जा सकता है। विमला देवी के मामले में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था जबकि इस मामले में याची स्वयं चुटैल साक्षी है। साक्षी के मात्र इतने ही साक्ष्य कि सामने वाले वाहन की तेजी व लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई है के अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर भी अभिवचनों व साक्ष्य मे एकरूपता होनी चाहिए। साक्षी की सत्यता परखने का यही साधन है। हलाँकि याची ने विकलांगता प्रमाण पत्र की छाया प्रति ही प्रस्तुत की है और याची न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित आया है और यह सही है कि उसका पैर घुटने से कटा हुआ है किंतु विवाद यह है कि पैर कटने का कारण बोलेरो की टक्कर है यह अधिसंभव्यता के आधार पर साबित हो रहा है कि नही। याचीगण के वर्तमान विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है की याचिका के अभिवचन इस वजह से गलत हैं क्योंकि याचिका अन्य अधिवक्ता ने तैयार की थी और उन अधिवक्ता ने क्या लिखवा दिया उन्हें नही मालूम। याचीगण के वर्तमान विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य ने लिखा दी थी उसने क्या लिखवा दिया उन्हें नही मालूम। उक्त के संबंध में न तो कहीं कोई शिकायत किए जाने का प्रमाण है और ना ही साक्ष्य में यह बातें कही गईं है।

13. PW1 याची गुलाब ने अपनी परीक्षा मे याचिका मे किए गए कथनों से बिल्कुल इतर कथन किए है। याचिका मे याची ने कथन किया है कि कैलाश उर्फ मुन्ना अपनी मोटर साईकिल सं. MP36MC3239 से अपने लड़के महेन्द्र लिटौरिया व याची को बैठाकर ग्राम विनवारा से चलकर कटेरा जा रहे थे जबकि साक्ष्य मे कथन किया है कि वह दिनाँक 13.01.2014 को अपने रिश्तेदार सुनील कुमार तिवारी के साथ उनकी मोटर साईकिल से पीछे बैठा था मो. सा. सं. MP36MC3239 से कटेरा जा रहा था। उस मो. सा. को महेन्द्र लिटौरिया चला रहा था। याचिका मे दो मोटर साइकिलों का जिक्र है जबकि साक्ष्य मे एक ही मोटर साइकिल का जिक्र है। याचिका मे उस दुर्घटनाग्रस्त मोटर साइकिल, जिस पर याची बैठ कर जा रहा था, को कैलाश उर्फ मुन्ना द्वारा चलाया जाना बताया गया है जबकि साक्ष्य मे उस मो. सा. को महेन्द्र लिटौरिया चलाना बताया गया है। यह सामान्य प्रज्ञा की बात है कि कोई ब्यक्ति चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह जीवन भर यह नही भूल सकता कि जिस मोटर साइकिल पर वह पीछे बैठकर जा रहा था उसे दुर्घटना के समय कौन चला रहा था। याचिका मे याची ने कथन किया है कि घटना के बाद बोलेरो चालक थोड़ा रुका उसी दौरान उसके रिस्तेदारों ने वाहन का नम्बर देख लिया था और इसके बाद वाहन चालक वाहन को तेज गति से चलाता हुआ झाँसी की तरफ चला गया जबकि साक्ष्य मे याची ने कथन किया है कि बोलेरो तेजी के कारण पलट गई उसने बोलेरो का नम्बर नोट कर लिया था। याची के चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार जो चोटें याची को हैं उतनी गंभीर चोटें आने के बाद याची द्वारा नंबर नोट कर लिया जाना नैसर्गिक नही है। साक्ष्य मे कहीं भी यह नही कही गया है कि रिश्तेदार सुनील कुमार तिवारी ने नम्बर देखा था। याचिका मे याची ने कथन किया है कि दुर्घटनाग्रस्त मोटर साइकिल के चालक कैलाश उर्फ मुन्ना को गंभीर चोटें आईं जबकि साक्ष्य मे याची ने कथन किया है कि दुर्घटनाग्रस्त मोटर साइकिल के चालक (कैलाश) की दुर्घटना मे मृत्यु हो गई थी। आरोप पत्र मे मोटर साइकिल चालक की मृत्यु (section 304A IPC) के संबंध मे कोई हवाला नही है और न ही मृत्यु के संबंध मे कोई पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो या तो विवेचना गलत है या याची का कथन। याचिका मे याची ने कथन किया है कि दुर्घटना के बाद याची के साथ जा रहे रिश्तेदार याची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर आये और भर्ती कराया जबकि साक्ष्य मे याची ने कथन किया है कि उसे पुलिस ने मेडिकल कालेज मे भर्ती कराया। याचिका मे याची ने कथन किया है कि घटना की रिपोर्ट याची के रिश्तेदार सुनील तिवारी द्वारा थाना सकरार में लिखाई गई जबकि साक्ष्य मे याची ने एक ओर कथन किया है कि रिपोर्ट किसने लिखाई उसे नही पता और दूसरी ओर यह भी कथन किया है कि सकरार पुलिस ने मु. अ. सं. 14/2014 और मुकदमा सं. 1972/2014 है सरकार ब. कमलेश साहू है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य याचिका के तथ्य से मेल खाते हैं लेकिन PW1 के साक्ष्य से मेल नहीं खाते। PW1 प्रथम

सूचना के तथ्यों से भिन्न तथ्य बता रहा है। याची ने दुर्घटना मे उसके हाथ मे भी फ्रैक्चर आने तथा रॉड ड़ाले जाने का कथन अपनी परीक्षा मे किया है किंतु चिकित्सीय प्रपत्रों मे इसका कोई उल्लेख नही है। यदि यह भी मान लिया जाय कि ग्रामीण परिवेश के ब्यक्ति बात आदतन थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर बतातें हैं तो भी उपलब्ध साक्ष्य से याचिका के कथनों का समर्थन नही होता है। यहाँ तक कि चिकित्सीय प्रपत्रों मे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी कोई उल्लेख नही है। दुर्घटना से संबंधित लगभग समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर विरोधी कथन याची की विश्वसनीयता को समाप्त कर देते है। मामले मे प्रस्तुत आरोप पत्र भी स्वतंत्र साक्षी के बयानों के आधार पर नही है बल्कि वह यंत्रवत है जिसके सभी गवाह एक दूसरे के रिश्तेदार व संबंधी हैं। नक्शा नजरी मे विवेचक द्वारा बोलेरो की गलती दिखाई गई है किंतु नक्शा नजरी किस गवाह की निशानदेही पर बनाया गया है यह स्पष्ट नही है। दुर्घटना 10 बजे दिन की पेट्रोल पम्प के पास की बताई गई है। यदि बोलोरो पलट गई थी तो ऐसा असंभव है कि किसी स्वतंत्र साक्षी ने दुर्घटना न देखी हो और विवेचनाधिकारी किसी स्वतंत्र गवाह को न खोज पाये हों। चूँकि आरोप पत्र मे स्वतंत्र साक्षी नही है अतः मेरे विचार से धारा 166 मो. वा. अधि. के अंतर्गत आने वाले मामले मात्र ऐसे आरोप पत्र के आधार पर साबित नही होते जिसमे दोषसिद्धि न हुई हो। अक्रामक वाहन के चालक की लापरवाही का विश्वसनीय साक्ष्य होना चाहिए चाहे वह मात्र चुटैल याची का ही हो जिससे अक्रामक वाहन के चालक की लापरवाही अधिसंभावयता के आधार पर साबित हो सके। दुर्घटना के बाद बोलेरो व मोटर साइकिल की कोई तकनीकी आख्या भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट होता कि दोनो वाहन वास्तव मे टकराये भी थे। इन परिस्थितियों मे बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता के इस सुझाव मे बहुत अधिक बल प्रतीत होता है कि याची को स्वयं मोटर साईकिल से गिरने के कारण चोटें आयीं और मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट लिखाकर गलत क्लेम पाने के लिए झूठा मुकदमा दायर किया है। इस प्रकार याची अधिसंभाव्य रूप से अपना मामला साबित करने मे सफल नही हो सका है। चूँकि याची अधिसंभाव्य रूप से अपना मामला साबित करने मे सफल नही हो सका है अतः योगदायी/अंशदायी उपेक्षा का कोई प्रश्न नही बनता है। तदनुसार यह वाद बिन्दु नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

वाद बिन्दु सं.3 इस आशय का है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकप सं. UP93E8316 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था? इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में विपक्षी सं.1 की ओर से पत्रावली पर प्रपत्र सं. 15 सी1 प्रश्नगत बोलेरो पिकअप सं. UP93E8316 के आरोपी चालक कमलेश साहू (मृतक) के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रति दाखिल की है, जिसके अनुसार आरोपी चालक कमलेश साहू के पास दिनाँक 02.01.2012 से 01.01.2015 तक एल.एम.वी. चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। उक्त ड्राईविंग लाइसेंस का खंण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। दुर्घटना दिनाँक 13.01.2014 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकप सं. UP93E8316 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था वाद सं.2 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

15. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

यह वाद बिन्दु इस आशय का है कि क्या प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.1 का प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकअप सं. UP93E8316 विपक्षी सं.3 बीमा कंपनी में विधिवत् रूप से बीमित था? इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में विपक्षी सं.1 की ओर से प्रपत्र सं.16 सी1 प्रश्नगत बोलेरो पिकअप सं. UP93E8316 की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत बोलेरो पिकप दिनाँक 13.07.2013 से 12.07.2014 तक बीमित है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं.1 द्वारा प्रश्नगत बोलेरो पिकप के पंजीयन प्रमाणपत्र, की छाया प्रति भी दाखिल की गई हैं। किन्तु विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से हर्ष विशाल गुप्ता अन्वेषक द्वारा प्रश्नगत वाहन सं. UP93E8316 के पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापन आख्या 85 बी पत्रावली पर दाखिल कराई गई है। इस सत्यापन आख्या में अन्वेषक ने यह अंकित किया है कि निर्धारित शुल्क जमा करने पर आर.ए., झाँसी द्वारा वाहन का विवरण कम्प्यूटर से अंकित करके जारी किया गया है, जिसके अनुसार दुर्घटना की तिथि 13.01.2014 को वाहन की फिटनेस प्रभावी नहीं पायी गयी। उक्त आख्या में प्रश्नगत बोलेरो की फिटनेस की वैधता दिनाँक 10.01.2013 से 09.01.2014 तक अंकित है। दुर्घटना दिनाँक 13.01.2014 की है। 16 सी1 बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र की सत्यापन आख्या 85 बी के अवलोकन से स्पष्ट है कि दुर्घटना की तिथि पर प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकप बीमित तो थी किन्तु दुर्घटना की तिथि 13.01.2014 को प्रश्नगत बोलेरो पिकप सं.

UP93E8316 का फिटनेस वैध एवं प्रभावी नहीं था। यद्यपि विपक्षी सं.1 द्वारा 85 बी सत्यापन आख्या के खंण्डन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है किन्तु इस संबंध में याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा एफ.ए.एफ.ओ. सं 4332/2012 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. बनाम श्रीमती उमा त्रिपाठी एवं अन्य में पारित आदेश दिनाँकित 19.07.2019 की प्रति दाखिल की गयी है, जिसका अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में फिटनेस प्रमाणपत्र दुर्घटना की तिथि पर वैध व प्रभावी न होने के तथ्य को बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना है। प्रश्नगत बोलेरो पिकप के फिटनेस के संबंध में ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नही है जिससे स्पष्ट होता हो कि उक्त कथित दुर्घटना प्रश्नगत बोलेरो पिकप की फिटनेस सही न होने के कारण घटित हुई हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश के आलोक में फिटनेस प्रमाणपत्र दुर्घटना की तिथि पर वैध व प्रभावी न होने के तथ्य को बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष का है कि प्रश्नगत दुर्घटना की तिथि व समय पर विपक्षी सं.1 का प्रश्नगत वाहन बोलेरो पिकअप सं. UP93E8316 विपक्षी सं.3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं.लि. से विधिवत् रूप से बीमित थी। वाद बिन्दु सं.4 तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

16. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित हैं। चूँकि याची यह साबित करने मे समर्थ नही हो सका है कि उसकी अपंगता का कारण बोलेरो चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने के कारण आयी है अतः बोलेरो की बीमा कम्पनी किसी प्रतिकर के दायित्वाधीन नही है। वाद बिन्दु सं.5 तदनुसार निर्णीत किया जाता है। इस प्रकार याची की याचिका निरस्त होने योगय है।

<u>आदेश</u>

याची की याचिका निरस्त की जाती है।

दिनाँक 16.06.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 16.06.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झाँसी